तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **देवेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 19/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-02-2022	अपीलार्थी देवेन्द्रसिंह, पता प्लॉट नं. 153, प्रेमनगर, बनाड़ रोड़ नांदड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.12.2021 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय में ईडब्लूएम (राज्य स्तरीय) प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक आवेदन किया गया है जिसका आवेदन नम्बर 210416070073 जो कि लेवल–2 पर रिजेक्ट किया जा रहा है तथा रिजेक्ट के अंदर पटवारी की रिपोर्ट मांगी जा रही है तथा पटवारी की रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है, व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 42 दिनांक 04.02.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि इस कार्यालय से पिंकु कंवर को ईडब्लूएस राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र बनाने को आवेदन 210416070073 किया जो कि इस लेवल पर रिजेक्ट न करके केवल SEND BACK किया है रिपोर्ट में यह भी कहा कि आवेदन पत्र केसाथ स्केन किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होने के कारण जाति संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पटवारी रिपोर्ट मांगी गई जो आज दिनांक तक इस कार्यालय की ID पर पुनः नहीं भिजवाया गया है। चूंकि लोक सूचना की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी/प्रार्थी देवेन्द्रसिंह को उसके द्वारा चाही जा रही सूचना के बारे में सूचित नहीं किया गया, जो खेदजनक है अतःअपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested